

बिहार सरकार,  
लघु जल संसाधन विभाग।

पत्रांक- 6505

पटना, दिनांक 11/09/19

प्रेषक,

के० के० पाठक,  
प्रधान सचिव,  
लघु जल संसाधन विभाग।

सेवा में,

जिलाधिकारी, गया।

विषय- पितृपक्ष मेला में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंताओं के लगाये Magistrate Duty से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक 6524/गो० दिनांक- 02.09.2019

महाशय,

'जल-जीवन-हरियाली अभियान' में विभाग ने व्यापक पैमाने पर निविदा प्रकाशित की है, जिसमें गया जिले में लगभग 92 करोड़ रुपये की योजनाएँ ली जानी प्रस्तावित है।

ऐसे में इन योजनाओं के किसी भी अभियंता को पितृपक्ष में Duty लगाने से उक्त अभियान में अवरोध उत्पन्न होगा।

अतः अनुरोध है कि इस विभाग के अभियंताओं को पितृपक्ष में Duty से मुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(के०के०-पाठक)

प्रधान सचिव,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक:- 6505

पटना, दिनांक:- 11.9.19

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 6505

पटना, दिनांक:- 11.9.19

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, श्री प्रकाश एवं श्री मीणा /अधीक्षण अभियंता (मो०), लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव